में जारी हुए

4.6.18

पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 के कैम्प साईटों का तला में पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप0। वकील उभय पक्षकारान ने आज ही बहस सुनने का निवेदन किया जो स्वीकार कर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का कथन था कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करने पर उतारू है अतः इस आवेदन में जारी स्थगन आदेश को या फैसला कन्फर्म किया जावे। वकील विपक्षीगण का कथन था कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अनायास ही परेशान करने के लिए स्थगन आदेश पेश किया है। विपक्षीगण वकील ने वंशावली पेश कर निवेदन किया कि वादी ने गलत संजरा बनाकर वादीगण 1/24 हिस्सा बताकर वाद पेश किया तथा उसके साथ स्थगन आदेश प्राप्त किया है जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/36 हिस्सा बनता है। अतः आवेदन जालसाजी तथा झूठे तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है। वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/24 हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/36 हिस्सा बनता है। अतः प्रार्थीगण पेश आवेदन झूठे तथा सारहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दि 2.8.17 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो संख्या से कम हो।

कलक्टर